न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,देवबन्द जिला सहारनपुर
पीठासीन अधिकारी – सुश्री निधि (यू0पी0 2679)
सत्र परीक्षण सं0 – 424/2019

राज्य बनाम जोगेन्द्र आदि

मु0अ0सं0 1116/2018
अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 307, 504, 325 भा0दं0सं0
थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

दिनांक 03.07.23

आदेश

पत्रावली पेश हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उपस्थित। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण सुशील तथा रामपाल उपस्थित। अभियुक्त जोगेन्द्र पुत्र इमरत निवासी भवनपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की फौती आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

साक्षी एस0आई0 विपिन कुमार हाल तैनात थाना देवबन्द जिला सहारनपुर सी0डब्ल्यू–1 के रूप मे परीक्षित हुए जिन्होने न्यायालय मे अपने साक्ष्य में कथन किया है कि मै थाना देवबन्द पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात हूँ। मान्य न्यायालय द्वारा अभियुक्त जोगेन्द्र पुत्र इमरत निवासी ग्राम भवनपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द से आख्या तलब की गयी थी। जिसके अनुपालन में मुझ एस0आई0 द्वारा अभियुक्त के मसकन पर पहुंच कर जानकारी की गयी तो परिजनो ने बताया कि अभियुक्त जोगेन्द्र की मृत्यु दिनांक 07.03.23 को हो चुकी है। परिजनों द्वारा मुझ एस0आई0 को अभियुक्त जोगेन्द्र के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी जो आख्या के साथ संलग्न है। ग्राम प्रधान व अन्य गांव वालों ने भी जोगेन्द्र की मृत्यु हो जाने की पुष्टि की थी। पत्रावली पर कागज सं0 22क/1 थाना देवबन्द की आख्या मेरे सामने है जो मेरे द्वारा तैयार व हस्ताक्षरित है जिस पर प्रदर्श C 1 डाला गया। कागज सं0 22क/2 अभियुक्त जोगेन्द्र के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति आख्या के साथ संलग्न है जिसकी जांच मैने कर ली है जो सही है जिस पर प्रदर्श C 2 डाला गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। बयान सी0डब्ल्यू0 1, प्रदर्श C 1 मृत्यु आख्या एवं प्रदर्श C 2 मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त जोगेन्द्र पुत्र इमरत निवासी ग्राम भवनपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की मृत्यु दिनांक 07.03.2023 को हो चुकी है। अतः अभियुक्त जोगेन्द्र पुत्र इमरत के विरूद्ध सत्र परीक्षण संख्या 424/2019 सरकार बनाम जोगेन्द्र आदि अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 307, 504, 325 भा0दं0सं0 थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर उसकी मृत्यु होने के कारण उपशमित किया जाता है। शेष अभियुक्तगण सुशील तथा रामपाल के विरूद्ध मुकदमा पूर्ववत् चलता रहेगा।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 17.07.23 को पेश हो।

(सुश्री निधि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,देवबन्द,
जिला सहारनपुर।